न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 08/2026 राजस्व अपील

1. भीम पुत्र रामप्रसाद जाति गुर्जर निवासी गोल हाल निवासी सलेमपुर(महवा) जिला दौसा।
अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार, खेड़ला बुजुर्ग तहसील महवा जिला दौसा।
रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्ध उप तहसीलदार खेडला बुजुर्ग तहसील महवा जिला दौसा का निर्णय दिनांक 19.09.2025 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम भीम मु. नं. 49/2025 अ. धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति : श्री पदमसिंह गुर्जर अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक: 23.03.2026

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का बड़ागांव द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार खेड़ला बुजुर्ग के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि अपीलांट ने संवत 2082 में भूमि आराजी खसरा नम्बर 2 रकबा 0.06 है0 में से 0.01 है0 भूमि किस्म चरागाह ग्राम रतनपुरा पर बाजरे की काश्त कर अतिक्रमण किया है। परन्तु अपीलांट की विधिवत तामील नहीं हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के एकतरफा में बयान लेकर अवैधानिक तरीके से निर्णय पारित कर अपीलांट को 30 दिवस का कारावास व पेनल्टी से दंडित करने के आदेश दिनांक 19.09.2025 को पारित कर दिया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। तत्पश्चात् अधिवक्ता अपीलान्ट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश खिलाफ कानून नियम, उप नियम व पत्रावली तथ्यों के विपरीत विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के यहां विचाराधीन प्रकरण में अपीलान्ट की विधिवत तामील ही नहीं हुई और न ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में तामील होने के संबंध में कोई तथ्य अंकित किया और न ही अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। निर्णय के रोज ही पटवारी हल्का के बयान लेकर निर्णय पारित कर दिया जबकि प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि पीडित पक्ष को पूर्ण सुनवाई व सबूत का मौका देकर ही निर्णय पारित करना चाहिये। सजा जैसे मामले में पीडित पक्ष को पूर्ण सुनवाई व सबूत का मौका देकर ही निर्णय पारित करना चाहिये था इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण प्रथमदृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को न तो जवाब व सबूत का मौका ही दिया और न ही पटवारी हल्का से जिरह का मौका ही दिया और न ही अपीलान्ट के समक्ष पटवार हल्का के बयान लिये गये। अपीलान्ट ने किसी भी सरकारी भूमि पर कोई काश्त नहीं की। पटवारी ने कतही असत्य बेबुनियाद रिपोर्ट पेश की है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी प्रदर्शित नहीं हुई है। बिना रिपोर्ट प्रदर्शित हुये उक्त रिपोर्ट साक्ष्य में ग्रहयोग्य ही नहीं थी तथा उसके आधार पर किया गया निर्णय अवैधानिक होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार खेड़ला बुजुर्ग द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.09.2025 निरस्त फरमावें।

अति॰ जिला कलक्टर
दौसा

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट ने सम्वत 2082 में ग्राम रतनपुरा तहसील महवा स्थित खसरा नम्बर 2 रकबा 0.06 है0 में से 0.01 है0 किस्म चरागाह पर बाजरा की काश्त कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी किया गया है। अपीलान्ट को नोटिस तामील प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। अपीलान्ट बावजूद सूचना के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी संवत 2081 में इसी खसरा नम्बर पर गेंहू की काश्त कर अतिक्रमण किया गया था जिसकी धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही कर अतिक्रमी को पूर्व में बेदखल किया गया था। लेकिन अपीलान्ट द्वारा संवत 2082 में पुनः अतिक्रमण कर लिया। जो पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अपीलांट बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार खेडला बुजुर्ग द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर 30 दिन के सिविल कारावास की सजा व लगान का 50 गुना शास्ति से दण्डित किये जाने का निर्णय दिनांक 19.09.2025 पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा प्रश्नगत चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का मौका नहीं दिया तथा पटवारी हल्का से जिरह का भी अवसर नहीं दिया गया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार खेडला बुजुर्ग तहसील महवा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.09.2025 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

23/3

(अरविन्द शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23/3/26

(अरविन्द शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा